



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275784
CG-DL-E-27082026-275784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4512]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4512]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4697(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाँदा जिले में NH-35 के कि.मी. 77.600 पर सेतु उन्नयन हेतु (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाँदा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बाँदा जिले में NH-35 पर सेतु कि.मी. 77.600 पर सेतु के निर्माण हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बाँदा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अतर्रा					
गांव का नाम: बदौसा					
1	8621/1	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.0217 (हेक्टेयर)	0.0217
गांव का नाम: दुबरिया					
2	8618	निजी	कृषिक	0.0885 (हेक्टेयर)	0.0885
3	8619	निजी	कृषिक	0.1965 (हेक्टेयर)	0.1965
4	8629	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.3227 (हेक्टेयर)	0.3227
5	8631	सरकारी	अकृषिक	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
6	8632	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
7	8633/1	निजी	कृषिक	0.162 (हेक्टेयर)	0.162
8	8633/1 BA	सरकारी	अकृषिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
9	8633/2	सरकारी	अकृषिक	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
10	8633/4	सरकारी	अकृषिक	0.0247 (हेक्टेयर)	0.0247
11	8646	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
12	8647	निजी	कृषिक	0.246 (हेक्टेयर)	0.246
13	8648	निजी	कृषिक	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
14	8649	निजी	कृषिक	0.0261 (हेक्टेयर)	0.0261
15	8663	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.1211 (हेक्टेयर)	0.1211
16	8664	निजी	कृषिक	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
17	8666	सरकारी	अकृषिक	0.0317 (हेक्टेयर)	0.0317
18	8731	निजी	कृषिक	0.0265 (हेक्टेयर)	0.0265

19	8732	निजी	कृषिक	0.0213 (हेक्टेयर)	0.0213
20	8733	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.357 (हेक्टेयर)	0.357
21	8734	निजी	कृषिक	0.2284 (हेक्टेयर)	0.2284
Total					2.0779

[फा. सं. NH-35-UP-2025-26-780/3A.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4697(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for bridge construction (widening to 2/4 lane bridge with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH-35 in the stretch of Land at bridges Km 77.600 in the district of Banda in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SLAO, Banda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without structures falling NH-35 in the stretch of land at bridges Km 77.600 in the district of Banda in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: BANDA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Atarra					
Village: Badausa					
1	8621/1	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.0217 (Hectare)	0.0217

Village: Dubariya					
2	8618	Private	Agricultural	0.0885 (Hectare)	0.0885
3	8619	Private	Agriculture	0.1965 (Hectare)	0.1965
4	8629	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.3227 (Hectare)	0.3227
5	8631	Government	Non Agriculture	0.0019 (Hectare)	0.0019
6	8632	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.0152 (Hectare)	0.0152
7	8633/1	Private	Agricultural	0.162 (Hectare)	0.162
8	8633/1 BA	Government	Non Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
9	8633/2	Government	Non Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
10	8633/4	Government	Non Agricultural	0.0247 (Hectare)	0.0247
11	8646	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.0051 (Hectare)	0.0051
12	8647	Private	Agricultural	0.246 (Hectare)	0.246
13	8648	Private	Agricultural	0.0035 (Hectare)	0.0035
14	8649	Private	Agricultural	0.0261 (Hectare)	0.0261
15	8663	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.1211 (Hectare)	0.1211
16	8664	Private	Agricultural	0.061 (Hectare)	0.061
17	8666	Government	Non Agricultural	0.0317 (Hectare)	0.0317
18	8731	Private	Agricultural	0.0265 (Hectare)	0.0265
19	8732	Private	Agricultural	0.0213 (Hectare)	0.0213
20	8733	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.357 (Hectare)	0.357
21	8734	Private	Agricultural	0.2284 (Hectare)	0.2284
Total					2.0779

[F. No. NH-35-UP-2025-26-780/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director